अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

05 02.05.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 23 / 2023 राज्य बनाम असफाक खान, पिता नजीम खान, निवासी मुण्डाधौडा, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रांची (झारखण्ड) ....विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 245/डी०सी०बी० दिनांक 06.03.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी असफाक खान, पिता नजीम खान, निवासी मुण्डाधौडा, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रांची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं0–09/20 दि० 11.02.2020 धारा 399/402 भा0द0वि० एवं 25(1–बी०) ए०/25(6)/35 आर्म्स एक्ट 2. मैक्लुस्कीगंज थाना सनहा दैनिकी सं० 04/23 दिनांक 19.02.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक, खलारी राँची के कार्यालय का ज्ञापांक सं० 232/2023 दिनांक 19.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी असफाक खान, पिता नजीम	

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गइ कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

खान, निवासी मुण्डाधौडा, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रांची जो वर्तमान में जेल से बाहर है। इनका मुख्य पेशा हथियार का भय दिखाकर लुटपाट एवं चोरी करने के आदि हैं। इनके भय के कारण आम जन इनके विरूद्ध पुलिस एवं न्यायालय तक नहीं जाना चाहते हैं। इनके विरूद्ध गवाह प्रस्ततु नहीं होने के फलस्वरूप ये जेल से आसानी से छुट जाते है। इनके विरूद्ध कई अपराधिक काण्ड भी दर्ज है इससे इनके असमाजिक तत्व होना प्रमाणित होता है जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

थाना प्रभारी, मैक्लुस्कीगंज ने ज्ञापांक 162/23 दिनांक 20.03. 2023 द्वारा विपक्षी को निर्गत नाटिस का तामिला प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार नोटिस के तामिला के क्रम मे जानकारी प्राप्त हुआ है कि विपक्षी गायब है, जिस कारण से नोटिस का तामिला नही हो सका है।

उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं थाना प्रभारी मैक्लुस्कीगंज के प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत वाद की कार्रवाई वर्तमान में संधाणीय नही है एवं इसलिए इस वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रतिकूल आदेश के समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

ादेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति असफाक खान, पिता नजीम खान, निवासी मुण्डाधौडा, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रांची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे। (लेखापित एवं संशोधित) जिला दण्डाधिकारी रॉची जिला दण्डाधिकारी रॉची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:02:13 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9